प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर**
वर्ष 2023 प्र0सू0रि0 सं. ....288/2023 दिनांक......05.11.2023
2. (I) अधिनियम 7 **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
(II) अधिनियम ...भा0द0स0.......... धारायें ... **120बी भा.द.सं.**
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....68............................समय 05:35PM
(ब) अपराध घटने का दिन **गुरूवार** दिनांक **02.11.2023 समय 10.00 ए.एम.**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक- **20.10.2023**..समय- **04.30 पीएम.**
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक **लिखित**
5. घटनास्थल:- **होली चाईल्ड इण्टरनेशनल स्कूल के सामने, जापानी जोन, रिको एरिया, नीमराना, जिला कोटपुतली-बहरोड़।**

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- **करीब 150 किलोमीटर बजानिब दिशा उत्तर**

(ब) पता- बीट संख्या........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :- **02**

(1) (अ) नाम:- **श्री रविन्द्र कुमार**
(ब) पिता/पति का नाम - श्री महावीर सिंह अहीर
(स) जन्म तिथी/वर्ष - 43 साल
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय- निजी व्यवसाय
(ल) पता- ग्राम नवादा फतेहपुर, पुलिस थाना खेड़की, जिला गुरूग्राम, हरियाणा

(2) (अ) नाम:- **श्री नवीन कुमार**
(ब) पिता/पति का नाम - श्री निरंजन कुमार
(स) जन्म तिथी/वर्ष - 37 साल
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय- निजी व्यवसाय
(ल) पता-मकान नम्बर 08, सैक्टर 82, पुलिस थाना खेड़की, जिला गुरूग्राम, हरियाणा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -

1. श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा पुत्र श्री श्रवणलाल मीणा, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर, हाल प्रवर्तन अधिकारी, प्रर्वतन निदेशालय, सब जोन कार्यालय इम्फाल, मणिपुर

2. श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोविन्दराम जाति मीणा, उम्र 30 साल, निवासी-ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय, तहसील मुंडावर जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) **15 लाख रूपये (04 लाख प्रचलीत भारतीय मुद्रा एवं 11 लाख डमी करेंसी)**
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....**15 लाख रूपये (04 लाख प्रचलीत भारतीय मुद्रा एवं 11 लाख डमी करेंसी)**
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 20.10.2023 परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर उपस्थित हुए जिनसे नाम पता पूछा तो दोनो ने पृथक-पृथक अपना नाम पता श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह अहीर, उम्र 43 साल निवासी ग्राम नवादा फतेहपुर, पुलिस थाना खेड़की, जिला गुरूग्राम, हरियाणा मोबाईल नम्बर 8800000002 व दूसरे ने अपना नाम पता श्री नवीन कुमार से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री नवीन कुमार पुत्र श्री निरंजन कुमार उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 08, सैक्टर 82, पुलिस थाना खेड़की, जिला, गुरूग्राम, हरियाणा मोबाईल नम्बर 9999828007 बताया तथा परिवादी श्री रविन्द्र कुमार ने लिखित शिकायत इस आशय का पेश की कि ''सेवा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, श्रीमान महोदय् निवेदन है कि मेरा नायरा कंपनी का पेट्रोल पम्प है, जो कि एनएच-8, दिल्ली जयपुर रोड़ गांव निखरी, जिला रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है। उक्त पेट्रोल पम्प में मुझे आर्थिक नुकसान होने के कारण बेचने के लिए मार्केट के लोगो को बता रखा था। इसी बीच श्री सेनसम जेकी सिंह पुत्र श्री सेनसम कुला सिंह निवासी प्लेट नम्बर 3185, द्वितीय तल, अर्बन स्टेट, सैक्टर 46, गुरूग्राम, हरियाणा जून 2022 में पेट्रोल पम्प डीलर हरपाल के माध्यम से उक्त पेट्रोल पम्प को खरीदने के लिए मुझसे मिला और हमारे बीच 09 करोड़ 85 लाख रूपये में डील पक्की होने पर एक करोड़ एडवांस देने के बाद एग्रीमेंट लिखने की हमारे बीच सहमति हुई तथा साई पेटे के 21 लाख का चैक श्री सेनसम जेकी ने मुझे दिया था, उक्त चैक को मैंने मेरे बैंक में डिपोजिट करवा लिया। मेरे द्वारा एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करवाया जा चुका था। लेकिन श्री सेनसम जेकी सिंह ने एक करोड़ रूपये नही देने के कारण एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नही किये गये थे मैंने मेरे अकाउण्ट से 19.77 लाख श्री अजय को देनदारी के ऑनलाईन(RTGS) ट्रान्सफर कर दिये थे तत्पश्चात श्री अजय का अकाउण्ट ईडी द्वारा फ्रीज कर दिया गया था, जिस पर श्री अजय ने बैंक से सम्पर्क किया तथा बैंक के द्वारा ईडी के बारे में बताया की ईडी ने आपका अकाउण्ट फ्रीज करवाया है। तब अजय ने ईडी से सम्पर्क किया तो ईडी ने श्री अजय से मेरे अकाउण्ट की डिटेल व नाम पता व मोबाईल नम्बर मांगे थे। तत्पश्चात् ईडी के कर्मचारी श्री हिमांशु गौतम द्वारा मोबाईल नम्बर 9935990604 से मेरे मोबाईल नम्बर 8800000002 पर सम्पर्क कर मुझे श्री सेनसम जेकी सिंह के चिटफण्ड के केस में गिरफ्तार होने के बारे में अवगत कराया तथा श्री सेनसम जेकी सिंह से 21 लाख रूपये लेने के बारे में पूछा था, जिस पर मेरे द्वारा उनको मेरे पेट्रोल पम्प की डील के बारे में बताया था, जिसके बाद दिनांक 28.04.2023 को ईडी के अधिकारी

हिमांशु गौतम ने मुझे मेरे व्हाट्सअप पर ईडी का सम्मन भिजवाया था, जिसमें मुझे इम्फांल मणिपुर में स्थित ईडी कार्यालय में 25 April 2023 को बुलाया गया था। मैं ईडी से सम्बंधित मामलो से अनभिज्ञ था इसलिए मैंने मेरे मित्र श्री नवीन कुमार को उक्त नोटिस की प्रति देकर ईडी में सम्पर्क कर मामले की जानकारी के लिए कहा था। इस पर नवीन कुमार ने ईडी के अधिकारी श्री हिमांशु गौतम से फोन के जरिये बात की और बताया कि हमे सम्मन 28.04.2023 को देरी से मिला है जिस पर हिमांशु गौतम ने मुझे 03 मई 2023 तक ईडी कार्यालय इम्फांल मणिपुर आने के लिए कहा था मेरी तबियत खराब होने के कारण मेरे मित्र नवीन व आशीष को ईडी ऑफिस इम्फांल मणिपुर जाने के लिए कहा था जिस पर नवीन कुमार व आशीष कुमार ईडी ऑफिस इम्फांल मणिपुर में सम्पर्क कर इम्फाल मणिपुर गये थे और वहां पर श्री हिमांशु गौतम व नवल किशोर मीणा ने मिलने से मना कर कहा की आप रविन्द्र को ही बुलाओ, उसके स्टेटमेंट दर्ज करने है जिस पर नवीन व आशीष वापस आ गये थे इसके बाद मणिपुर इम्फांल में दंगे होने से कर्फ्यु लग गया था फिर जुलाई 2023 से ईडी कार्यालय द्वारा नवीन कुमार के पास हिमांशु गौतम के फोन आने लग गये थे और मुझे ईडी कार्यालय में भेजने के लिए नवीन कुमार से कहते थे तथा सम्पति अटैच व गिरफ्तार करने की धमकी देते थे फिर नवीन ने हिमांशु गौतम से बात कर 04-10-2023 की तारीख तय की फिर नवीन कुमार के पास 03-10-2023 को हिमांशु गौतम का कॉल आया और कहा की मैं 04-10-2023 को ईडी कार्यालय इम्फांल में नही मिलुंगा और आपको N.K. मीणा से मिलकर स्टेटमेंट लिखवाना है फिर 04-10-23 को नवीन कुमार को साथ लेकर इम्फांल मणिपुर में स्थित ईडी कार्यालय पर गये, जहां पर हमे श्री N.K. मीणा मिले, जिन्होने मुझे मेरे केस के बारे में बताया और डराया कि आपने सेनसम जेकी सिंह से 21 लाख रूपये ले रखे है। इसके सम्बंध में उन्होने मेरे से पूछताछ कर स्टेटमेंट लिखे। मैंने स्टेटमेंट में उक्त पेट्रोल पम्प की बिक्री के लिए रूपये साई के लिए थे ईडी के अधिकारी श्री N.K. मीणा ने मुझे डराया और धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी जिस पर मैंने बताया की मैंने कोई गलत काम नही किया मैंने तो अपने पट्रोल पम्प की बिक्री के तहत 21 लाख रूपये साई के लिए थे जिस पर N.K. मीणा ने पुनः मुझे मेरी प्रोपर्टी अटैच करने के लिए डराया और धमकाया तथा मेरे को इस केस से फ्री करने के लिए मेरे से 20 लाख रूपये की डिमाण्ड की तो मैंने उनको बताया की यह मेरे लिए सम्भव नही है जिस पर श्री N.K. मीणा ने मुझे पुनः डराया और कहा कि तूम्हे गिरफ्तार करना पड़ेगा, जिस पर मैंने और नवीन ने N.K. मीणा से बार-2 रिक्वेस्ट करी और कहा की हमारी तो कोई गलती ही नही है जिस पर N.K. मीणा ने पुनः धमकाया और कहा की जैल जाना या इस केस से फ्री होना है। हम दोनो बहुत बुरी तरह डर गये और हमने कहां कि कुछ तो कम करो, जिस पर श्री N.K. मीणा ने कहा कि मैं साहब एम शिवानन्द सिंह(AD) से बात करके आता हूं थोड़ी देर बाद N.K. मीणा हमारे पास वापिस आये और कहा की साहब नाराज है। फिर N.K. मीणा ने साहब रिक्वेस्ट की की ये लो लोग मेरे ईलाके के है। तब साहब माने। तब N.K. मीणा ने कहा कि तूम लोग मेरे ईलाके के हो इसलिए मैंने साहब से रिक्वेस्ट करके कम करवाये है। अब आपको इस केस से फ्री होने के लिए हमे 17 लाख रूपये देने पड़ेगें, इन 17 लाख में से हिमांशु गौतम और एम शिवानन्द(AD) साहब का हिस्सा होता है। इसलिए अब 17 लाख रूपये से कम नही होगें, जिस पर मैंने डर के मारे श्री N.K. मीणा द्वारा मांगी गई रिश्वत 17 लाख रूपये देने की हां भरी थी, फिर N.K. मीणा ने मेरे से दो अलग अलग

स्टेटमेंट पर साईन करवाकर अपने पास रख लिए थे तथा फिर N.K. मीणा ने हमे 14.10.2023 तक 17 लाख रूपये नीमराना राजस्थान में देने का समय दिया था फिर हम लोग मणिपुर से वापस आ गये फिर 14.10.2023 को 1.17 PM पर श्री N.K. मीणा ने मोबाईल न0 9233130085 से नवीन के मोबाईल नम्बर 9999828007 पर व्हाट्सअप कॉल किया और 17 लाख रूपये रिश्वत को पहुंचाने के बारे में पूछा तथा नवीन ने और 10 day या अक्टुम्बर महिने के लास्ट तक रिश्वत की राशि पहुंचाने का कहा जिस पर N.K. मीणा ने पुनः डराते व धमकाते हुए 24.10.2023 तक रिश्वत देने के लिए कहा उसके बाद 15.10.23 को हिमांशु गौतम का मोबाईल न0 9935990604 से व्हाट्सअप कॉल आया जिसको नवीन कुमार ने रिसीव नही किया फिर 16.10.2023 को 3:22 PM पर ईडी से मोबाईल न0 9233130085 से दुबारा व्हाट्सअप कॉल आया तो तो नवीन कुमार ने फोन उठाया तो उस समय हिमांशु गौतम ने बात की तो हिमांशु गौतम ने प्रोपटी अटेच की धमकी देते हुए डराया और धमकाते हुए रिश्वत की मांग की और कार्यवाही करने की धमकी दी जिस पर नवीन कुमार ने 14.10.23 को N.K. मीणा से हुई वार्ता के बारे में बताते हुए रिश्वत के 17 लाख रूपये 24.10.2023 तक देने की कोशिश करने या इस महिने के लास्ट तक देना बताया ईडी अधिकारी N.K. मीणा व हिमांशु गौतम हमेशा नवीन से व्हाट्सअप कॉल पर ही बात करते है। और बात करते समय कोड वर्ड में डॉक्युमेंट व किताबे पहुंचाने की कहते हुए रिश्वत की राशि देने का दबाव डालते है। मै रविन्द्र कुमार ईडी के इम्फांल मणिपुर अधिकारी श्री N.K. मीणा व हिमांशु गौतम को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हूं कृपया कार्यवाही करे। एसडी रविन्द्र कुमार 20/10/2023 Mob 8800000002 रविन्द्र कुमार पुत्र महावीर सिंह गांव नवादा फतेहपुर (जिला) गुरूग्राम (हरियाणा) एसडी नवीन कुमार 20/10/2023 नवीन कुमार 9999828007 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री रविन्द्र कुमार ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र श्री नवीन कुमार द्वारा हस्तलिखित है। नवीन कुमार मेरा मित्र है तथा ईडी के अधिकारी एनके मीणा व हिमांशु गौतम इन्ही से सीधी बात करते है। परिवादी श्री रविन्द्र कुमार ने बताया कि मेरा ईडी के उक्त अधिकारियो से कोई सम्पर्क, लेन-देन व आपसी रंजीश नही है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री नवीन कुमार ने दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की ताईद करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व ईडी के अधिकारी एनके मीणा व हिमांशु गौतम द्वारा स्वयं नवीन से ही सीधी बात करना तथा रिश्वत की राशि नीमराना राजस्थान में ही देने का बताया था। उन्होने परिवादीगण ने ईडी से प्राप्त सम्मन की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। तत्पश्चात् परिवादी श्री रविन्द्र कुमार ने बताया कि दिनांक 14.10.2023 को एन के मीणा द्वारा रिश्वती राशि के लिए दिनांक 23.10. 2023 से कभी भी रिश्वत के लिए नवीन कुमार को व्हाट्सअप कॉल कर सकते है। इस पर परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार को ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के विषय में अवगत कराते हुये कार्यालय के श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय के मालखाना से दो विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एक सोनी कंपनी का तथा दुसरा पेन ड्राईवनुमा मय दो नये मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई एवं श्री प्रदीप कुमार कानि0 को उक्त दोनो वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिनांक 23.10.2023 को परिवादीगण के पास पहुंचकर

नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादीगण द्वारा बताया गया कि संदिग्ध अधिकारीगण हमारी लोकेशन तथा हमारी कॉल्स ट्रेक कर सकते है और उनको हमारा एसीबी जयपुर से सम्पर्क करने का पता चल सकता है, इसलिए हम एसीबी ऑफिस जयपुर में बार-बार नही आना चाहते है। परिवादीगण द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्य सही प्रतीत होते है क्योकि ईडी जैसी संस्था सीडीआर प्राप्त करने एवं कॉल्स इण्टरसेप्ट करने में सक्षम संस्था है व संदिग्ध अधिकारियो द्वारा अपने पद का आपराधिक दुरूपयोग कर परिवादीगण की लोकेशन ट्रेस कर परिवादी द्वारा एसीबी से सम्पर्क करने की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। अत: परिवादीगण से एसीबी कार्यालय से बाहर अन्य स्थान पर सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के मालखाना से विभागीय डिजीटल केमरा मय नया मेमोरी कार्ड श्री प्रदीप कुमार कानि0 को सुपुर्द कर मांग सत्यापन कार्यवाही की विडियोग्राफी करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 22.10.2023 को श्री प्रदीप कुमार कानि0 को मांग सत्यापन कार्यवाही की आकस्मिकता के कारण दिनांक 23.10.2023 को परिवादी श्री नवीन कुमार के नजदीक मुकीम रहकर संदिग्धो के फोन आने पर नियमानुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् कानि0 श्री प्रदीप कुमार दिनांक 23.10.2023 से 27.10.2023 तक परिवादी श्री नवीन कुमार के सम्पर्क में रहकर अकस्मात होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी श्री नवीन कुमार के पास संदिग्धो के फोन का इंतजार करने एवं मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए साथ रहा, जिसकी कानि0 द्वारा जरिये दूरभाष सम्पर्क में रहकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता रहा। दिनांक 28.10.2023 को समय करीब 10.50 एएम पर परिवादी श्री नवीन कुमार ने श्री प्रदीप कुमार कानि. को अवगत कराया कि ईडी कार्यालय के संदिग्ध मोबाईल नम्बर 9233130085 से मेरे मोबाईल नम्बर के व्हाट्सअप पर मिस कॉल आये है, जिसे मैने उठाया नही है। इस पर कानि0 द्वारा परिवादी को तुरन्त रवाना होने व रास्ते में नजदीकी स्थान पर मिलने की हिदायत देते हुये स्वयं भी परिवादी नवीन कुमार के पास रवाना होकर पाटन पहुंचा, जहां पर परिवादी नवीन कुमार एवं एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम आशीष होना बताया मय अपने निजी वाहन के मौजुद मिले, परिवादी नवीन कुमार द्वारा बताया गया कि मेरे मोबाईल पर संदिग्धो के मोबाईल नम्बर 9233130085 से समय 10.36 एएम व 11.15 एएम पर व्हाट्सअप पर मिस कॉल आये हुए है। तत्पश्चात् समय 2.36 पीएम पर संदिग्धो के **मोबाईल नम्बर 9233130085** से नवीन कुमार के **मोबाईल नम्बर 9999828007** पर पुन: व्हाट्सअप कॉल आया, जिसे नवीन कुमार ने रिसीव कर वार्ता की गई तो श्री एन के मीणा द्वारा रिश्वत मांग सम्बंधित वार्ता की गई तथा संदिग्ध श्री एन के मीणा द्वारा दिनांक 30.10.2023 को रिश्वत लेन-देन के स्थान के सम्बंध में श्री नवीन कुमार को फोन करने के लिए कहा गया, उक्त मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिग मन् कानि0 द्वारा दोनो विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सोनी कंपनी एवं पेनड्राईवनुमा रिकॉर्डर में की गई तथा परिवादी नवीन कुमार के साथी आशीष कुमार की मदद से मांग सत्यापन वार्ता की विडियोग्राफी भी की गई। तत्पश्चात् दिनांक 29.10.2023 को श्री प्रदीप कुमार कानि0 ने दो विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एक सोनी कंपनी मय मैमोरी कार्ड तथा दूसरा पेन ड्राईवनुमा मय मैमोरी कार्ड व विभागीय कैमरा मय मैमोरी कार्ड पेश किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उक्त वार्ता में **''संदिग्ध श्री एन के मीणा द्वारा परिवादी श्री नवीन कुमार को ''क्या हो रहा है डेट आ गया था, डॉक्युमेंट तैयार कागज आपने कुछ नही भी नही**

देने, डॉक्यूमेंट सारे हाथ में रखने, मंडे को बात करने वगैरह वार्ता करने पर परिवादी श्री नवीन कुमार द्वारा आप वाला काम जो आपने बोला था सत्रह के लिए वो सब रैडी होना, 30-31 में बैंक से विड्रॉ करना, कुछ बैंक से विड्रा होना, कुछ बहरोड़ में क्लाईंट से उठाना, सब कुछ रेडी होना, रविन्द्र से बात होना, 30-31 में काम हो जाना, आप बोलो उसी दिन करवा देना वगैरह जवाब दिया जाना प्रकट हुआ है। उक्त वार्ता में परिवादी श्री नवीन कुमार द्वारा विनती करते हुए सत्रह की जगह पन्द्रह कर लेने की कहने पर संदिग्ध एन0के0 मीणा द्वारा ठीक है कहकर सहमति देना प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा रिश्वत लेन-देन की तिथी व स्थान पूछने पर संदिग्ध एन0के0 मीणा द्वारा मंडे तीस को ही कर देने, स्थान पूछने पर संदिग्ध एन0के0 मीणा द्वारा बता देगें भई अभी कहना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता में परिवादीगण द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना में उल्लेखित संदिग्धगणो द्वारा रिश्वत राशि के लिए कोड वर्ड डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग करने के तथ्यो की ताईद होती है। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी श्री एन के मीणा द्वारा परिवादी श्री नवीन कुमार से रिश्वत मांग करने की पुष्टि होती है। इस पर उपरोक्तानुसार रिश्वत मांग सत्यापन के अनुरूप ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया गया। इस पर चौकी हाजा स्टाफ व पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन को 30.10.2023 समय 7.00 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय आने के लिए पाबंद किया गया। तत्पश्चात् परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार से संपर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में संदिग्ध को रिश्वती राशि के रूप में दी जाने वाली राशि 15 लाख रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि इतने कम समय में उसके पास इतनें रूपयो की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। उसके पास केवल 04 लाख रूपये की व्यवस्था ही हो पायेगी, परिवादी ने शेष 11 लाख रूपंये देने में असमर्थता जताकर उक्त 11 लाख रूपये डमी करेंसी के साथ ट्रेप कार्यवाही को अंजाम देने हेतु अनुरोध किया, जिस पर उक्त के संबंध में उच्चाधिकारियों से उचित दिशा निर्देश प्राप्त किये जाकर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी ने बताया कि वह दिनांक 30.10.2023 को उक्त रिश्वती राशि (04 लाख प्रचलित भारतीय मुद्रा व 11 लाख डमी करेंसी) लेकर नीमराना में उपस्थित हो जायेगा। दिनांक 30.10.2023 को चौकी हाजा का समस्त स्टाफ व स्वतंत्र गवाहन ब्यूरो कार्यालय आये, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सूखने के उपरान्त कार्यवाही में साथ ले जाने वाले ट्रेप बॉक्स को अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उसमें कांच की शीशीयां, डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास व चम्मच, सोडियम कार्बोनेट का डब्बा व अन्य ट्रेप कार्यवाही में उपयोग आने वाला सामान रखवाया। पुर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन श्री मोहन कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण झालाना डूंगरी जयपुर तथा श्री कैलाश चन्द डागर हाल बहुविधि कार्यशील कर्मचारी, भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण झालाना डूंगरी जयपुर को गोपनीय कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत सहमति चाही तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अलग-अलग अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान पूर्व से काम में लिये जा रहे दो विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड हमराह लिये गये। श्री सीताराम कनिष्ठ सहायक को फिनोफ्थेलीन पाउडर का डिब्बा सरकारी वाहन बोलेरो की डेस्क बोर्ड में रखवाकर मुनासिब हिदायत दी गई। समय 8.00 एएम पर मन् पुलिस

अधीक्षक मय श्री सुरेश कुमार स्वामी व श्री सत्यवीर पु0नि0 व स्वतंत्र गवाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री जरिये सरकारी वाहनो वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 10.40 एएम पर नीमराणा पहुंचे तथा परिवादीगण से सम्पर्क किया तो उन्होने ट्रीहाउस टुडेस सनराईज रिसोर्ट के पास मिलना बताया जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय टीम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के उक्त रिसोर्ट के पास पहुंचे जहां पर परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार उपस्थित मिले, जिनके हमराह टीम लेकर अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुये ट्रीहाउस टुडेस सनराईज रिसोर्ट में अन्दर दाखिल होकर रूम नं0 108 में पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री नवीन कुमार ने बताया कि ईडी के मोबाईल नम्बर 9233130085 से मेरे मोबाईल नम्बर 9999828007 पर मिस कॉल आया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री प्रदीप कुमार कानि0 को उक्त संदिग्ध नम्बरो का पुनः परिवादी के पास फोन आने पर वाईस रिकार्डर में रिकार्डिग करने व केमरे से रिकार्डिग करने की हिदायत दी गई। परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहन एवं मौजुद समस्त ट्रेप टीम सदस्यो का आपस में परिचय करवाया। **समय 1.47 पीएम पर संदिग्ध श्री एन के मीणा ने परिवादी श्री नवीन कुमार को व्हाट्सअप कॉल कर वार्ता की गई, उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री एन0के0 मीणा द्वारा परिवादी नवीन कुमार पर दबाव बनाते हुए सांकेतिक भाषा में वार्ता करते हुए रिश्वती अभी तक नही देने का तकाजा किया जाता है, परिवादी द्वारा रिश्वती राशि की व्यवस्था होने का बताया जाने पर संदिग्ध द्वारा परिवादी की लोकेशन पूछने पर परिवादी द्वारा लोकेशन नीमराणा इण्डस्ट्रीयल एरिया नीमराणा होना बताया जाने पर संदिग्ध द्वारा पहले तो किसी का नम्बर देना और उसको पकड़ा देने तथा बाद में किसी का कॉल आने पर उसके पास अकेले ही जाकर रिश्वती राशि देने का कहा जाता है, परिवादी द्वारा केस के बारे में पूछने व हिमांशु गौतम के फोन आने के बारे में बताकर संदिग्ध द्वारा बार-बार कोई इश्यू नही होना कहा जाता है। उक्त वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा पन्द्रह देने की कहने पर संदिग्ध द्वारा सहमति दिया जाना प्रकट होता है। उक्त वार्ता में संदिग्ध द्वारा परिवादी से बार-बार अकेले होने, अकेले ही देकर आने का कहा जाता है।** उक्त वार्ता को दोनो विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर व केमरे मे रिकार्ड किया गया। समय 2.15 एएम पर स्वतंत्र गवाहन श्री मोहन कुमार व कैलाश चन्द डागर के समक्ष दिनांक 28.10.2023 को हुए गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दी जाने वाली 15 लाख रूपये रिश्वत राशि पेश करने के लिए परिवादीगण को कहा गया तो परिवादी श्री नवीन कुमार ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 800 नोट कुल राशि 04 लाख रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले ''भारतीय मनोरंजन बैंक'' की डमी करेंसी की 22 गड्डीया (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) कुल 2200 नोट, राशि 11 लाख रूपये (डमी करेंसी) निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश किये, इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 15 लाख रूपये (चार लाख प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं ग्यारह लाख डमी करेंसी) पेश किये। प्रचलित भारतीय मुद्रा के 4,00,000/- रूपये (चार लाख) रूपयों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। इस अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 2200 नोट कुल राशि 11,00,000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर ''भारतीय मनोरजंन बैंक'' लिखा हुआ है। जिन पर कोई भी नम्बर अंकित नही है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 800 नोटो एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 2200 नोटो पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु हमराह कनिष्ठ सहायक श्री सीताराम द्वारा कार्यालय से पृथक से साथ लाये गये फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा

को सरकारी वाहन बोलरो के डेस्कबोर्ड में से मंगवाया जाकर उक्त होटल के एक कमरे में टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि को अखबार पर रखकर श्री सीताराम कनिष्ठ सहायक से उक्त राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगी उक्त राशि को एक अखबार में लपेटकर उक्त अखबार को एक जूट के बैग, जिस पर अंग्रेजी में INDUSIND BANK लिखा है, में सीधे ही कनिष्ठ सहायक श्री सीताराम से रखवाया गया, परिवादी श्री नवीन कुमार की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर से लिवाई जाकर परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई, उक्त रिश्वत राशि रखे जूट के बैग को श्री सीताराम कनिष्ठ सहायक द्वारा सीधे ही परिवादी श्री नवीन कुमार को सुपुर्द किया गया। परिवादी को सुविधानुसार ट्रेप टीम के किसी भी सदस्य को या मुझे मिस कॉल या निर्धारित ईशारा करने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रिया के बारे में स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण को समझाया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री सीताराम, कनिष्ठ लिपिक मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना किया गया। परिवादी व संदिग्ध के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही में काम लिए गये दो विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री प्रदीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई, जिसकी फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् प्रदीप कुमार कानि0 245 को परिवादी श्री नवीन कुमार के साथ उसके प्राईवेट वाहन में संदिग्ध श्री एन के मीणा से वार्तानुसार रिश्वत लेन-देन हेतु इण्डस्ट्रीयल एरिया नीमराणा की तरफ रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम के पीछे-पीछे रवाना होकर नीमराणा इण्डस्ट्रीयल एरिया में पहुंचे, जहां पर ट्रेप जाल बिछाया जाकर परिवादी के ईशारे पर मुकर्रर हुए। समय 7.15 पीएम पर कानि0 श्री प्रदीप कुमार परिवादी श्री नवीन कुमार उपस्थित आकर कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने बंद अवस्था में दोनो वाईस रिकार्डर पेश कर बताया कि परिवादी श्री नवीन कुमार की संदिग्ध श्री एन के मीणा से जरिये व्हाट्सअप कॉल व व्हाट्सअप चैट वार्ता हुई, उक्त व्हाट्सअप कॉल वार्ता को मेरे द्वारा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। जिसके सम्बंध में समय-समय पर जरिये फोन आपको हालात निवेदन किये गये। परिवादी श्री नवीन कुमार ने दरियाफ्त पर बताया कि समय 3.57 पीएम पर श्री एन के मीणा ने जरिये व्हाट्सअप कॉल कर **''छ बजे फिक्स आप दे देना एक लड़का है उसको दे देना''** कहा जाता है। तत्पश्चात् समय 5.21 पीएम पर संदिग्ध श्री एन के मीणा ने जरिये व्हाट्सअप कॉल कर अवगत कराया कि **आपको लोकेशन भेज रहा हूं, उस लोकेशन पर आप चले जाना, जो मुंडावर साईड नीमराणा से 20-30 किलोमीटर है और उन्होने मेरे अकेले ही होने के बारे में पूछकर लोकेशन पर दोस्त मिलने के बारे में बताकर रिश्वती राशि को डॉक्युमेंट के रूप में बोलकर उसको देने के लिए कहता है। तत्पश्चात् श्री एन के मीणा द्वारा लोकेशन भेजी जाती है।** तत्पश्चात् समय 5.58 पीएम पर श्री एन के मीणा द्वारा जरिये व्हाट्सअप कॉल किया गया तो **मेरे द्वारा उनको भेजी गई लोकेशन काफी दूर होने की कहा गया और रिश्वती राशि रात्रि के समय मुंडावर ले जाने में असमर्थता जाहिर की**

तो श्री एन के मीणा ने कहा कि आप केसे बोल रहे हो डॉक्युमेंट है डॉक्युमेंट दे देना और मेरे द्वारा उनको नीमराणा इण्डस्ट्रीयल एरिया में मौजुद होने के बारे में बताने पर उन्होने मुझे वही रहने और रिश्वती राशि लेने के लिए व्यक्ति को वही भेजने के बारे में कहा गया। तत्पश्चात् श्रीमान के निर्देशानुसार मै श्री प्रदीप कुमार कानि0 से कुछ दूरी बनाकर इण्डस्ट्रीयल एरिया नीमराणा में ही मुकीम हो गया। तत्पश्चात् समय 06.09 पीएम पर श्री एन के मीणा का अकस्मात व्हाट्सअप कॉल आने पर रिसीव किया था, जिसमें **श्री एन के मीणा ने कहा कि थोड़ा इंतजार और करने की कहने पर परिवादी ने घर जाने में देरी हो होना बताया, जिस पर संदिग्ध ने डेढ घंटा और वेट करने के लिए कहा है, बंदा मुंडावर से आ रहा है, यदि आप इंतजार कर सको तो रूक जाओ नही आप निकल जाओ, फिर देख लेगें, मैं उस बंदे को जल्दी आने के लिए बोलता हूं।** तत्पश्चात् निर्देशानुसार प्रदीप कानि0 मेरे साथ रहे। समय 6.45 पीएम पर श्री एन के मीणा ने जरिये व्हाट्सअप कॉल कर बताया कि आपके पास रिश्वती लेने के लिए साढे सात बजे तक बताया गया **''व्यक्ति आ जायेगा तो मेरे द्वारा एन के मीणा जी को रिश्वती राशि हाथ में लेने के बारे में बताया तो उसने कहा कि आधा घंटे और रूक जाओ और आपको जल्दी है तो आप निकल जाओ और एन के मीणा जी ने मुझे बताया कि वो बंदा अब मंडावर से निकला है फिर मैंने उनको घर बात करके बताने की कहा था''** तत्पश्चात् मेरी एन के मीणा जी से व्हाट्सअप पर चैट हो रही थी, वो बार-बार समय परिवर्तन कर रहे थे। इस पर मैंने उनको जरिये व्हाट्सअप घर के लिए रवाना होने के बारे में बताया दिया था। श्री एन के मीणा व्हाट्सअप चैट को तुरन्त डिलीट करता है और कुछ व्हाट्सअप चैट का स्क्रीनशॉट लिया जाकर सुरक्षित रखा गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि का समय होने व संदिग्ध श्री एन के मीणा द्वारा बार-बार समय परिवर्तन कर गुमराह करने के कारण आइन्दा ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। इस पर परिवादी श्री नवीन कुमार को मुताबिक फर्द पेशकशी सुपर्द की गई फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि के एक जूट के बैग को हमराह स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर को सावधानीपुर्वक सुपर्द करवाकर सुरक्षित हालात में रखवाई गई। परिवादीगण को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम के रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे, जहां पर श्री कैलाश चन्द डागर के पास सुरक्षित रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि के एक जूट के बैग को ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे गये। तत्पश्चात् चौकी हाजा के स्टाफ व स्वतंत्र गवाहन को गोपनीयत की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 31.10.2023 को परिवादी श्री नवीन कुमार ने बताया कि आज श्री एन के मीणा कॉल आया, जिसको मै रिसीव नही कर पाया और उसने व्हाट्सअप पर चैट मैसेज भेजा, तो श्री एन के मीणा ने कल **दोपहर तक जयपुर में डॉक्युमेंट को सबमिट कर देना और नही तो 4 के बाद करने, अब फोन पर बात नही होगी तुम तरीके से फोन पर बात नही करते हो वगैरह मैसेज किये।** इस प्रकार संदिग्ध श्री एन के मीणा द्वारा जयपुर में रिश्वती राशि लेने की संभावना है। तदुपरान्त दिनांक 31.10.2023 की रात्री को परिवादी द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि संदिग्ध एनके मीणा द्वारा दिनांक 01.11.2023 को सुबह 10 बजे तक नीमराना में संदिग्ध के किसी परिचित को हर सूरत में रिश्वत राशि देने का मैसेज किया है जिस पर दिनांक 01.11.2023 को सुबह 9 एएम

पर नीमराना के पास शाहजहापुर टोल पर मिलने की हिदरायत की गई एवं समस्त ब्यूरो स्टाफ व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुबह 5.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई जिस पर समय 5.15 एएम पर समस्त ब्यूरो स्टाफ व दोनो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित है। आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 30.11.2023 को स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर के द्वारा कार्यालय हाजा के मालखाने की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर द्वारा बैग में होना सुनिश्चित होने के उपरान्त अन्य स्वतन्त्र गवाह श्री मोहन कुमार के समक्ष स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर से मालखाना से बाहर निकलवाया गया तथा उक्त जूट के बैग को सुरक्षित स्वयं के पास ही रखने की हिदायत की गई, गोपनीय कार्यवाही के सत्यापन में उपयोग में लाये जा रहे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। समय 6.15 एएम पर मन् हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर, श्री सत्यवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99, श्री सुभाषचन्द कानि0 नं0 592, श्री प्रदीप कुमार कानि नं. 245, श्रीमती पिंकी महिला कानि. 11, दोनो स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री कैलाश डागर व मोहनलाल एवं ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये जाने वाले आवश्यक साजो सामान, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर आदि को लेकर दो प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से नीमराना-बहरोड़ की ओर होकर रवाना होकर समय 9.05 एएम पर शाहजापुर टोल नाके पर पहुंचे जहां पर सडक किनारे परिवादी श्री नवीन कुमार अपने प्राईवेट वाहन के साथ उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 31.11.2023 की रात्रि को जरिये व्हाट्सअप मैसेज संदिग्ध एनके मीणा ने मेरे को रिश्वती राशि सुबह 10 बजे तक हर सूरत में उसके परिचित अन्य संदिग्ध को नीमराना में ही रिश्वती राशि 15 लाख रूपये सुपुर्द करने हेतु सूचित किया, संदिग्ध श्री एनके मीणा ने आज जरिये व्हाट्सअप परिवादी श्री नवीन कुमार से नीमराना जल्दी पहुंचने के मैसेज पोस्ट किये गये। चूंकि रिश्वती राशि संदिग्ध श्री एनके मीणा द्वारा उसके परिचित किसी अन्य संदिग्ध को देने हेतु कहा है ऐसी स्थिति में मुख्य संदिग्ध श्री एनके मीणा को रिश्वत लेन-देन के तुरन्त बाद निरूद्ध किया जाना है परन्तु संदिग्ध एनके मीणा की एक्जेक्ट लोकेशन के बारे में पता नही होने के कारण कार्यवाही नही हो सकी। रिश्वती राशि का बैग गवाह श्री कैलाश चन्द डागर के पास सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा समय 10:14:36 एएम, 10:21:22, 12:31:25 पीएम, 4:18:35 पीएम एवं 4:21:07 पीएम पर परिवादी व संदिग्ध एनके मीणा के बीच व्हाटस्अप कॉल/चैट के माध्यम से लेन-देन के संबंध में हुई संदिग्ध वार्ताओं के बारे में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया, कानि. द्वारा उक्त वार्ताओं को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड करना बताया। उक्त वार्ताओ को सरसरी तौर पर सुना गया तो उक्त वार्ताओ में परिवादी नवीन कुमार व संदिग्ध एन0 के0 मीणा के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के लिए स्थान व समय के बारे में बार-बार वार्ताए होकर संदिग्ध द्वारा रिश्वती राशि देने के लिए दबाव बनाया जाना प्रकट हुआ है। इस संबंध में परिवादी को व्हाट्सअप-कॉल लॉग एवं चैट को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक हिदायत की गई। परिवादी नवीन कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध एनके मीणा ने कल 9 बजे से पहले रिश्वत राशि उसके द्वारा बताये जाने वाले संदिग्ध को देने हेतु मैसेज किया है, अत: इस संबंध में परिवादी को कल दिनांक 02.11.2023 को समय 7.30 एमए पर नीमराना में ट्रेप कार्यवाही हेतु मय अन्य परिवादी रविन्द्र सिंह के साथ उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत की गई। कानि. श्री प्रदीप कुमार से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित मन् अति.

पुलिस अधीक्षक के पास रखा गया। हमराही जाप्ता के श्री सत्यवीर सिंह पु.नि., श्रीमती पिंकी महिला कानि. 11 व श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99 को गोपनीयता की दृष्टी से कल दिनांक 02.11.2023 को सुबह 7.30 एएम पर नीमराना में उपस्थित होने की हिदायत कर प्राईवेट वाहन से जयपुर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व शेष जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाह के अपनी पहचान गोपनीय रखते हुये रात्रि विश्राम हेतु होटल ट्रीहाउस, नीमराना पहुंचे। रिश्वती राशि का बैग स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के होटल कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कक्ष की अन्य अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाला अन्य साजो सामान हमराह श्री सुभाष चन्द्र कानि. व प्रदीप कानि. की सुरक्षा में होटल में उनके कमरे की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक 02.11.2023 को समय तलबशुदा परिवादीगण श्री नवीन कुमार व श्री रविन्द्र कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान व अन्य जाप्ता होटल ट्री हाउस में उपस्थित है। समय 7.35 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादीगण के समक्ष स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर द्वारा होटल में स्थित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के होटल कक्ष की अलमारी में कल दिनांक 1.11.2023 को सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि का बैग नियमानुसार कमरे में उपस्थित परिवादी श्री नवीन कुमार को सम्भलाई गई। स्वतन्त्र गवाह कैलाश चन्द डागर के हाथ साबुन-पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। चूंकि कल दिनांक 01.11.2023 को संदिग्ध एनके मीणा द्वारा आज दिनांक 02. 01.2023 को 9.00 एएम से पहले रिश्वत राशि नीमराना में उपस्थित अपने परिचित अन्य संदिग्ध को दिलवाने का मैसेज किया गया था अत: परिवादी को हिदायत की गई कि संदिग्ध एनके मीणा काफी होशियार है अत: उसके द्वारा बताये गये समय 9. 00 एएम से पहले ही वो जरिये व्हाट्सअप संदिग्ध एनके मीणा से रिश्वत राशि दिलवाने वाले व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। तदुपरान्त हमराह श्री प्रदीप कुमार कानि. को वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी नवीन कुमार के साथ उनके निजी वाहन से होटल से रवाना किया गया। ब्यूरो कार्यालय जयपुर में पूर्व से उक्त कार्यवाही हेतु उपस्थित श्री बलराम मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक एवं श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक मय टीम को संदिग्ध एन.के. मीणा को ट्रेक कर लेन-देन की कार्यवाही होते ही डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अन्य परिवादी श्री रविन्द्र कुमार मय श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप कार्यवाही में उपयोग आने वाले साजो सामान, ट्रेप बॉक्स के प्राईवेट टैक्सी कार से परिवादी के निजी वाहन के पिछे-पिछे होटल ट्रीहाउस, नीमराना से रवाना हुये। श्री सतवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता भी प्राईवेट वाहन के नीमराना में पहुंच गये है जिनसे सम्पर्क कर आवश्यक हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के प्राईवेट टैक्सी कार के पिछे-पिछे उचित दूरी बनाते हुये आने की हिदायत की गई। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के श्री प्रदीप कुमार कानि0 के बताये अनुसार इन्दु होस्पीटल, जापानी जोन, नीमराना में पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री नवीन कुमार व कानि. श्री प्रदीप कुमार उपस्थित मिले, परिवादी ने बताया कि मैने जरिये व्हाट्सअप संदिग्ध एनके मीणा को गुड मोर्निग व वेटिंग सर का मैसेज किया तो समय 9.15 एएम पर एनके मीणा ने ''फोर व्हाट का मैसेज किया तो मैने उनके द्वारा प्रयोग में लिए जा रहे कोड वर्ड के अनुरूप रिप्लाई कर डाक्यूमेन्ट लिखकर भेजा तो उसने सहमती जाहिर की, समय 9.21 एएम पर आरोपी श्री एनके मीणा ने जरिये व्हाटसअप कॉल कर एल्डिगो सोसाईटी की लोकेशन पर जाने के लिए कहता है। तत्पश्चात 9.30 एएम पर व्हाट्सअप कॉल कर लोकेशन

भेजने व डोक्यूमेन्ट देने के बारे में कहता है। इस संबंध में परिवादी नवीन कुमार को आवश्यक हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्दु होस्पीटल, जापानी जोन, नीमराना के पास समय 9.44 एएम पर परिवादी श्री नवीन कुमार को श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं 245 से दोनों विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एक सोनी कंपनी मय मैमोरी कार्ड तथा दूसरा पेनड्राईवनुमा मय मैमोरी कार्ड कानि0 से चालू करवाकर परिवादी श्री नवीन कुमार को सुपुर्द करवाकर उसके वाहन में कानि0 श्री प्रदीप कुमार को ड्राईवर के रूप में आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0 के0 मीणा द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर रिश्वती राशि के लेन-देन के लिए रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम के उनके पीछे-पीछे रवाना हुआ। परिवादी श्री नवीन कुमार व कानि0 प्रदीप कुमार रवाना होकर होली चाईल्ड इण्टरनेशनल स्कूल के सामने, जापानी जोन, रिको एरिया में रूक गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम, दोनो स्वतंत्र गवाहन के होली चाईल्ड इण्टरनेशनल स्कुल के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। समय 09.58 एएम पर एक व्यक्ति पैदल ही परिवादी के कार के पास आकर रूका और वार्ता करने के बाद कार में पीछे बैठ गया। तत्पश्चात् समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री नवीन कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्धारित ईशारा वाहन की पार्किंग लाईट को चलाकर ईशारा किया गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त ट्रेप टीम, परिवादी श्री रविन्द्र कुमार मय दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर परिवादी के प्राईवेट वाहन के पास पहुंचे, जहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति जिसने चैहरे पर एक रूमाल का नकाब लगा रखा था एक पिट्ठू बैग को लेकर भागने लगा, जिस पर कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने पीछा कर संदिग्ध को बमुश्किल बलपुर्वक पकड़ा। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ते की मदद से संदिग्ध को डिटेन किया जाकर उसके कब्जे से ब्लू-ग्रे कलर के पिट्ठू बैग एवं एक एप्पल कंपनी का आईफोन-14 को कब्जे में लिया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर के पास सुरक्षित रखवाया। उक्त संदिग्ध व्यक्ति से मिले मोबाईल फोन एप्पल कंवनी आईफोन-14 को बाद परीक्षण पृथक से जब्त किया जावेगा। परिवादी श्री नवीन कुमार से दोनों वाईस रिकार्डर प्राप्त किये जाकर बंद किये गये, जिनको सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय दिया जाकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोविन्दराम जाति मीणा, उम्र 30 साल, निवासी-ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय, तहसील मुंडावर जिला खैरथल-तिजारा (राज.) मोबाईल नम्बर 9785000876 बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व से अलर्ट श्री बलराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस को जरिये फोन कर आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा को डिटेन करने के लिए सूचित किया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री नवीन कुमार ने बताया कि रिश्वती राशि रखे जूट के बैग को मैने संदिग्ध एन0के0 मीणा के बताये अनुसार एक व्यक्ति जिसने अपना नाम दिनेश होना बताया को दे दिया, उक्त व्यक्ति उक्त जूट के बैग में अखबार में लपेटी हुई राशि को निकालकर गड्डिया गिनकर अपने पिट्ठू बैग में रख लिये थे, फिर आपको देखकर दिनेश जी जूट के बैग व अखबार को गाड़ी में ही छोड़कर उक्त बैग को लेकर भागने लग गये थे। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की कार में रखे उक्त जूट के बैग व अखबार को स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर से उठवाया जाकर

सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य रिश्वत आदान प्रदान के दौरान श्री प्रदीप कानि. ने जरिये व्हाट्सअप समय-समय पर वस्तु स्थिति एवं लेन-देन के संबंध में अवगत कराया जाता रहा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डागर व श्री मोहन कुमार द्वारा संदिग्ध श्री बाबूलाल मीणा के ब्लू-ग्रे कलर के पिट्ठू बैग में रिश्वती राशि होना सुनिश्चित कराया जाने के पश्चात् उक्त स्थान पर काफी भीड़ होने व आम रास्ता होने के कारण रिश्वती राशि प्राप्त करने वाले के हाथो संदिग्ध श्री बाबूलाल मीणा के हाथों की धोवन कार्यवाही संभव नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सुरक्षित स्थान पर मय समस्त ट्रेप टीम स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण, संदिग्ध श्री बाबूलाल मीणा को जरिये प्राईवेट वाहन के समय 10.08 एएम पर पुलिस थाना नीमराणा के लिए रवाना हुए। इसी दौरान श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस ने अवगत कराया कि श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा को डिटेन किया जा चुका है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिटेनशुदा श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा को पुलिस थाना नीमराणा लेकर आने की हिदायत मुनासिब दी गई। समय 10.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम व आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के पुलिस थाना नीमराणा पहुंचे, जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना नीमराणा के थानाधिकारी को थाना परिसर में अग्रिम कार्यवाही करने की मौखिक अनुमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् पुलिस थाना नीमराणा में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हाथों का धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स में से दो नये साफ प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर एक साफ पानी की बोतल मंगवाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकालकर दोनों डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् डिस्पोजल गिलास में तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार व आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे डिस्पोजल गिलास में तैयारशुदा घोल में श्री बाबूलाल मीणा के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् श्री बाबूलाल मीणा द्वारा परिवादी श्री नवीन कुमार से रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने ब्लू-ग्रे रंग के बैग पिट्ठू बैग, जिस पर SKYBAGS लिखा हुआ, जिसके पीछे की जैब में रखी गई रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर से निकलवाई जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाहन ने रिश्वती राशि को गिनकर बताया कि उक्त रिश्वती राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 800 नोट कुल राशि

4 लाख रूपये एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 2200 नोट कुल राशि 11 लाख रूपये है, जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो उक्त रिश्वती राशि फर्द में अंकित विवरण के अनुसार हुबहू पायी गई तथा उक्त बैग में रिश्वती राशि के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। तत्पश्चात् उक्त पिट्ठू बैग में रखी रिश्वती राशि के स्थान का धोवन लिये जाने के लिए ट्रेप बॉक्स से एक नया साफ प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकालकर डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् पिटठू बैग के पीछे की जैब में रखी रिश्वती राशि के स्थान को एक सफेद रंग के कपड़े की चिंदी से रगड़कर उक्त डिस्पोजल गिलास में तैयारशुदा घोल में चिंदी को डुबाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क PB-1 व PB-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पिट्ठू बैग के पीछे की जेब जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई थी के स्थान पर स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पिटठू बैग को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया जाकर मार्क "**PB**" अंकित किया जाकर स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् पिट्ठू बैग के धोवन में उपयोग में ली गई सफेद कपड़े की चिंदी को सुखाकर स्वतंत्र गवाहान, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया जाकर मार्क "**C**" अंकित किया जाकर स्वतंत्र गवाहन, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश चन्द डागर के पास सुरक्षित रखी गई रिश्वती राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 800 नोट कुल राशि 4 लाख रूपये एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 2200 नोट कुल राशि 11 लाख रूपये कुल 15 लाख रूपये को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "**M**" अंकित किया जाकर स्वतंत्र गवाहान, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वती राशि के लिये उपयोग में लिए गये अखबार व जूट के बैग पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त अखबार को जूट के बैग में रखा जाकर उक्त जूट के बैग को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "**JB**" अंकित किया जाकर स्वतंत्र गवाहान, परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार, आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी दौरान समय 12.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के डिटेनशुदा आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा व उसके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे दो मोबाईल एक एप्पल आईफोन-13 व दूसरा वन प्लस NORD CE2 LITE

5G कंपनी के पेश किये। उक्त दोनो मोबाईल फोन को बाद परीक्षण पृथक से जब्त किया जावेगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया तो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा से उसका नाम पता पूछा उसने अपना नाम पता श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा पुत्र श्री श्रवणलाल मीणा, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर, हाल प्रवर्तन अधिकारी, प्रर्वतन निदेशालय, भारत सरकार, कार्यालय सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, सब जोन कार्यालय इम्फांल, मणिपुर मोबाईल नम्बर 9351350861 बताया। प्रकरण में उक्त दोनो संदिग्ध श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा व संदिग्ध बाबूलाल मीणा को बमौजुदगी स्वतंत्र गवाह आमना-सामना पूछताछ की जाकर पूछताछ की विडियोग्राफी करवायी गई। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो संदिग्धोगणो से पृथक-पृथक पूछताछ प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री बाबूलाल मीणा ने परिवादी श्री नवीन कुमार से प्राप्त रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर परिवादी की तरफ ईशारा कर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वती राशि नही मांगी और ना ही मैने इनसे रिश्वती राशि प्राप्त की है। मै तो मुंडावर तहसील कार्यालय में कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थापित हूं। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देकर पूछा तो आरोपी ने बताया कि मेरे को जिन्होंने रिश्वती राशि दी, मै उनको नही जानता हूं। श्री नवल किशोर मीणा जो मणिपुर में ईडी मे नौकरी करता है, मेरा दोस्त है तथा हम दोनों क्लासमेट रहे है। श्री नवल किशोर मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर 9929997224 से मेरे मोबाईल नम्बर 9785000876 पर दिनांक 30.10.2023 को कॉल कर बताया कि तेरे को नीमराणा कोई डॉक्युमेंट लेकर आयेगा, जिनको तुझे लेने है, मैने उसको कहा कि मै मुंडावर कार्यालय में हूं। कार्यालय से नीमराणा आउंगा, जब डॉक्युमेंट ले लूंगा। परन्तु ऑफिस में मै लेट हो गया था समय करीबन सात साढे सात बज गये थे, फिर नवल ने मुझे फोन कर बताया कि वो लोग लेट होने की वजह से रवाना हो गये, क्योंकि इन लोगों को जाने में दो घंटे लगेंगे। दिनांक 01.11.2023 को सुबह 09.00 बजे के आस-पास फोन आया तो उसने 10 बजे के आस-पास डॉक्युमेंट देने आयेगा, इस पर मैने कहा कि उनको दस बजे से पहले-पहले भेज दे, आ जायेगें तो मै ले लूंगा। उसके बाद मैने नवल को फोन करके कहा कि मै लेट हो गया, मै कार्यालय जाउंगा, इस पर नवल ने कहा कि ठीक है, तू जा, ये लोग फैमिली के साथ है ये लोग कूकस आयेंगे जब मेरे को दे देंगे, मेरी नवल से दोस्ती होने के कारण हमेशा बात होती रहती है, फिर दिनांक 02.11.2023 को नवल ने मैसेज कर कहा कि वो लोग आ रहे है तू वो ले लेणा यही से और तू अपने आपको दिनेश होना बताना और तेरी लोकेशन भेज दे, मैने नवल को लोकेशन भेजी थी। लोकेशन भेजने के बाद में नवल किशोर ने फोन कर मुझे बताया कि वो बता रहे कि यह लोकेशन 10-12 मिनट दूर है, वो आ जायेंगे, मैने नवल को मैसेज पर पूछा था कि उसका नाम क्या है तो उसने नवीन नाम बताया, उसने मुझे नवीन की कार के नम्बर, स्कूल की फोटो जहां पर नवीन खड़ा है, भेजी थी। उसके बाद मै अपनी कार स्विफ्ट डिजायर आरजे 45 सीवी 8779 को लेकर स्कूल के पास आकर गाड़ी खड़ी कर मै नवीन की स्कोर्पिया गाड़ी के पास आया और मैने नवीन से बात कर उन्होंने नवल से बात की तो उन्होंने 15 पूरे होने की बात कही तो मुझे लगा डॉक्यूमेंट के रूप 15 लाख रूपये है, इस पर मैने नवीन कुमार द्वारा दिये गये जूट के बैग में अखबार में लपेटे 500-500 रूपये की गड्डीयां गिनकर 15 लाख रूपये नवीन से लिए थे। मुझे नवल ने उक्त रूपयो के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरा नवल किशोर से पारिवारिक रिश्ते है, मै उससे 30.10.2023 को ही जयपुर में गोपालपुरा में मिला था। इस पर

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्विफ्ट डिजायर आरजे 45 सीवी 8779 की चाबी के बारे में पूछा तो उसने चाबी कार मे लगी होना बताया। इस पर श्री सुभाष चन्द कानि0 को स्वतंत्र गवाह श्री केलाश चन्द डागर को हमराह ले जाकर कार पुलिस थाना नीमराणा लाने के लिए हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री नवीन कुमार ने बताया कि उक्त व्यक्ति मेरी कार के पास आकर रूका और उसने मेरे से पूछा कि आपका नाम नवीन कुमार है, तो मैंने कहा हां और उस व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश बताया, श्री एन0के0 मीणा द्वारा पूर्व में मुझे रिश्वती राशि लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम दिनेश ही बताया था। उक्त व्यक्ति दिनेश द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर मैंने एन0के0 मीणा से बात कराने के लिए कहा तो उक्त व्यक्ति ने कहा कि आपके फोन से बात कर लो, इस पर मैंने अपने फोन से जरिये व्हाट्सअप कॉल कर एन0के0 मीणा जी बात की तो एन0के0 मीणा ने मुझसे पूछा कि कितनी राशि दे रहे हो तो मैंने उनको 15 बताये तो उन्होंने उक्त दिनेश को उक्त 15 देने के लिए कहा और एन0के0 मीणा ने कहा कि आप सारी व्हाटसअप चैट डिलीट कर देना तथा अपण शाम को बात करेगें। वार्ता के बाद में दिनेश जी मेरी कार में बीच वाली सीट पर बैठ गये, मैंने रिश्वती राशि रखे जूट के बेग को दे दिया, उन्होंने उक्त जूट के बैग में से अखबार में लपेटी हुई राशि को निकालकर गड्डियां गिनकर अपने ब्लु-ग्रे कलर के पिट्ठू बैग में रख लिये थे, फिर आपको देखकर दिनेश जी जूट के बैग व अखबार को मेरी गाड़ी में ही छोड़कर अपने बैग को लेकर भागने लग गये थे। मैंने इनको श्री एन0के0 मीणा के कहने पर ही रिश्वती राशि दी थी। इनको मेरे द्वारा दी जा रही रिश्वती राशि के बारे में मालूम था। इन्होंने मेरे से रिश्वती राशि की गड्डीयां गिनकर 15 लाख लिये थे। उपरोक्त तथ्यो से संदिग्ध श्री बाबूलाल मीणा द्वारा संदिग्ध श्री एन0के0 मीणा के कहेअनुसार अपने आपको दिनेश नाम के व्यक्ति के रूप में परिवादी नवीन कुमार के पास जाकर रिश्वत मांग सत्यापन के अनुरूप रिश्वती राशि 15 लाख रूपये प्राप्त करना प्रकट होता है। संदिग्ध श्री बाबूलाल मीणा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताये गये तथ्य सही नही पाये गये। इसी दौरान श्री सुभाष चन्द कानि0 मय स्वतंत्र गवाह श्री केलाश चन्द डागर के आरोपी श्री बाबूलाल मीणा की कार को थाना परिसर में लेकर आया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोना स्वतंत्र गवाहन की मौजुदगी मे स्विफ्ट डिजायर आरजे 45 सीवी 8779 की तलाशी लिवाई गई तो कोई संदिग्ध वस्तु/कागजात नही पाये गये। उक्त कार को सुरक्षार्थ निगरानी मे थाना परिसर में खड़ी करवाई गई। उक्त कार को आइन्दा आरोपी के परिजनो के आने पर सुपुर्द की जावेगी। संदिग्ध श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा ने दरियाफ्त पर बताया कि ईडी कार्यालय मणिपुर में पोंजी/चिटफण्ड के तहत सनासम जेकी सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 से केस चल रहा है। उक्त केस के मुझे ईसीआईआर नम्बर याद नहीं है, परन्तु उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री एम0 शिबानन्दा, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, उप क्षैत्रीय कार्यालय, इम्फांल मणिपुर है। अप्रेल में श्री रविन्द्र कुमार को उक्त प्रकरण में धारा 50 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत बयान दर्ज करने बाबत् मई माह में उपस्थित होने के लिए सम्मन दिया गया था। मणिपुर राज्य में वर्तमान में जारी हिंसा के कारण कार्यालय कामकाज ठप्प हो गया था, जिसके कारण कोई भी पूर्व में जारी सम्मन के अनुपालना में कोई उपस्थित नहीं हो सका, 02 मई 2023 को रविन्द्र कुमार के सीए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने बाबत् कार्यालय आये थे, जिसके बाद हिंसा फैलने के कारण वापस अपने घर लौट गये थे। उसके बाद रविन्द्र दो महिने तक जानबुझकर स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए कार्यालय नहीं आया था तो श्री हिमांशु गौतम, प्रवर्तन अधिकारी

के द्वारा ऑफिस के लेण्डलाईन नम्बर व ईमेल के माध्यम से रविन्द्र कुमार के सीए को रिमाईण्ड करवाया गया था, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में रविन्द्र कुमार उसके सीए के साथ बयान दर्ज कराने हेतु बिना दस्तावेजो के उपस्थित हुआ था। अनुसंधान अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया था। श्री रविन्द्र कुमार ने सनासम जेकी सिंह के अकाउण्ट से 20 से 25 लाख रूपये पेट्रोल पम्प का लाईसेंस दिलाने के लिये लिए थे। उसके बाद दोनों के बीच डील कैंसिल हो गई थी, लेकिन रविन्द्र जानबूझकर जैकी सिंह के पैसे रिटर्न नहीं किया था तो कार्यालय ने रविन्द्र कुमार से चल अचल सम्पति के दस्तावेज जमा कराने के लिये कहा गया था, लेकिन इन्होंने तय समय में जमा नहीं कराये थे। श्री हिमांशु गौतम ने रविन्द्र कुमार के सीए को दस्तावेजो को जल्द से जल्द जमा कराने के लिये कहा गया था। मेरा रविन्द्र कुमार के सीए से कोई सम्पर्क नहीं था, लेकिन मेरी दो-तीन बार व्हॉट्सअप कॉल के माध्यम से दस्तावेज जमा कराने के लिए जरिये व्हॉट्सअप कॉल से बात हुई थी और उसने दस्तावेज नीमराणा में देने का कहा था, लेकिन जानबूझकर दस्तावेज नहीं देकर मेरे दोस्त को दस्तावेज की जगह नगद रूपये दिये। मैं उक्त प्रकरण में ना तो अनुसंधान अधिकारी हूं और ना ही रविन्द्र कुमार के सम्मन को डील कर रहा हूं। मेरे द्वारा श्री रविन्द्र कुमार के सीए से किसी प्रकार की रिश्वती राशि की मांग नहीं की गई थी और ना ही रिश्वती राशि ली है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नवीन कुमार से इस सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि एन0के0 मीणा सरासर अपने बातों से मुकर रहे है, जब मै व रविन्द्र कुमार 04 अक्टूबर 2023 को ईडी कार्यालय इम्फाल मणिपुर में श्री एन0के0 मीणा ने ही रविन्द्र कुमार के दो पृथक-पृथक बयान दर्ज किये थे, जिसकी कोई रिकार्डिंग की हो हमे मालूम नहीं है। श्री एन0के0 मीणा ने हमारे को रविन्द्र को जारी सम्मन, उसके मामले को निपटाने, प्रोपर्टी अटैच नहीं करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 17 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर दिनांक 14.10.2023 तक समय दिया था, जिस पर दिनांक 14.10.2023 को इन्होंने जरिये व्हॉट्सअप मोबाईल नम्बर 9233130085 से व्हॉट्सअप कॉल रिश्वती राशि के पूछा था और नीमराणा में ही रिश्वती राशि देने के लिए कहा था। इस पर मैंने इनसे दिनांक 24.10.2023 या इस महिने लास्ट तक उक्त रिश्वती राशि देने का समय लिया था। फिर दिनांक 16.10.2023 को हुई हिमांशु गौतम से वार्ता में भी दिनांक 24.10.2023 या इस महिने लास्ट तक हर सूरत में उक्त रिश्वती राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। श्री एन0के0 मीणा अक्सर रिश्वती राशि को कोड वर्ड में डॉक्युमेंट या किताब कहता था और मुझे भी इसी तरह बोलने के लिए कहता था। रविन्द्र व मैंने दिनांक 20.10.2023 को ब्यूरो कार्यालय, जयपुर रिश्वत मांगने की लिखित शिकायत पेश की थी, जिस पर मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 28.10.2023 को उसने रिश्वती राशि की डेट निकलने व रिश्वती राशि को कोडवर्ड रूप में कहते हुए डॉक्युमेंट देने के लिये कहा था, जिस पर मेरे द्वारा रिश्वत राशि बैंक और क्लाईन्ट से लेने के बारे में बताकर 17 लाख रूपये रिश्वती राशि को कम करने के लिए कहा तो इन्होंने सहमति देकर कहा कि पहले रिश्वती राशि हाथ में ले लो और 15 लाख रूपये की रिश्वती राशि लेने की सहमति दी थी और व्हाट्सअप चैटिंग व दिनांक 30.10.2023 व 01.11.2023 के दौरान जरिये व्हाट्सअप कॉल हुई विभिन्न वार्ताओ में श्री एन0के0 मीणा ने रिश्वती राशि के लिए दबाव व रिश्वती राशि नही देने पर ईडी एक्ट के अनुसार कार्यवाही की धमकी दी गई थी व रिश्वत राशि एन0के0 मीणा जी के कहे अनुसार श्री बाबूलाल मीणा को देने के दौरान एन0के0 मीणा जी से हुई वार्ता में मेरे से कितनी रिश्वती राशि दे रहे हो तो मेरे द्वारा उनको 15 लाख बताये गये तो उन्होंने कहा कि

ठीक है पन्द्रह है और मैंने एन0के0 मीणा के मिलने वाले उक्त व्यक्ति को रिश्वती राशि 15 लाख रूपये गिनवाकर दी थी। उक्त व्यक्ति जिसने मुझसे रिश्वती राशि ली उसका नाम एन0के0 मीणा ने मुझे दिनेश होना बताया था, वह व्यक्ति दिनेश नाम से ही मेरे से आकर मिला था। मन् अनुसंधान अधिकारी को परिवादी श्री रविन्द्र कुमार ने दरियाफ्त पर बताया कि मैने जेकी सिंह मेरा नायरा कंपनी का पेट्रोल पम्प जिसे आर्थिक नुकसान होने के कारण बेचने के लिए मार्केट के लोगो को बता रखा था। इसी बीच श्री जेकी सिंह ने जून 2022 में पेट्रोल पम्प डीलर हरपाल के माध्यम से उक्त पेट्रोल पम्प को खरीदने के लिए मुझसे मिला और हमारे बीच 09 करोड़ 85 लाख रूपये में डील पक्की होने पर एक करोड़ एडवांस देने के बाद हस्ताक्षरयुक्त एग्रीमेंट लिखने की बात हुई तथा बिक्री की साई पेटे 21 लाख रूपये का चैक जेकी सिंह ने दिया था, उक्त चैक को मैने मेरे बैंक में डिपोजिट करवा लिया था। इसके अलावा मैंने जेकी सिंह को पेट्रोल पम्प का लाईसेंस दिलाने के नाम पर किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया था। मेरा जेकी सिंह से कोई सम्पर्क नहीं था और ना ही मैं उसे जानता था और परिवादी श्री रविन्द्र कुमार ने नवीन कुमार की बातों का ताईद किया है। उपरोक्त तथ्यो से संदिग्ध श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा द्वारा अपने मिलने वाले संदिग्ध श्री बाबूलाल के मार्फत रिश्वत मांग सत्यापन के अनुरूप रिश्वती राशि 15 लाख रूपये प्राप्त करना प्रकट होता है। संदिग्ध श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताये गये तथ्य सही नही पाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विभीगीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हुई लेन-देन की वार्ताओ तथा पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड हुई वार्ताओ एवं रिश्वत लेन-देन के सम्बंध में रिकार्ड हुई अन्य वार्ताओ को सुना गया तो परिवादी श्री नवीन कुमार द्वारा मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बंध में बताये गये तथ्यो की पुष्टि होना पाया गया है। प्रकरण में आरोपी श्री बाबूलाल मीणा के मोबाईल फोन एप्पल कंपनी का आईफोन-14 का परीक्षण किया गया तो उक्त मोबाईल फोन बरंग सफेद एप्पल कम्पनी का होकर जिसमें एक सीम मोबाईल नम्बर 9785000876 लगी हुई है। जिसके आईएमईआई नम्बर चैक करने पर आईएमईआई नम्बर 359136684359507 व 359136684670275 होना पाया गया। उक्त मोबाईल फोन पर प्लास्टिक का नीला बेक कवर लगा हुआ। आरोपी द्वारा उक्त मोबाईल फोन में पासकोड 299171 होना बताया। उक्त मोबाईल का परीक्षण किया तो मोबाईल फोन में आरोपी नवल किशोर मीणा से वार्ता के संदिग्ध कॉल लॉग, फेसटाईम कॉल तथा वाटसअप चेट/कॉल एवं अन्य संदिग्ध डेटा होना पाया गया। उक्त मोबाईल में आरोपी बाबूलाल मीणा व आरोपी नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा की व्हाट्सअप चैट का अवलोकन किया गया तो उक्त दोनो के मध्य रिश्वत राशि परिवादी से लेने, किस स्थान पर लेने, परिवादी को अपना नाम दिनेश बताने, रिश्वत राशि लेने का समय बताने, संदेह लगने पर निकल लेने, रिश्वत लेन-देन के स्थान की लोकेशन भेजने, परिवादी की लोकेशन बताने व लेन-देन पूर्व पहले जाकर देख लेने व पुरी सावधानी रखने, परिवादी की गाड़ी का नम्बर भेजने, परिवादी की लोकेशन का फोटा भेजने, चैट को डिलीट करने, चारो तरफ सावधानी से जाने वगैरह संदिग्ध चैट होना पाया गया। परिवादी श्री नवीन कुमार के मोबाईल में उपलब्ध आरोपी श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा से हुई व्हॉटसअप चैट से भी उपरोक्त तथ्यो की पुष्टि होती है। आरोपी श्री बाबूलाल मीणा का उपरोक्त मोबाईल फोन फर्दर परीक्षण कर जरिये फर्द पृथक से जप्त किया गय। प्रकरण में आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन.के. मीणा के कब्जे से दो मोबाईल फोन मिले, जिनका परीक्षण किया तो उक्त एक मोबाईल फोन बरंग नीला एप्पल कम्पनी का होकर

जिसमें दो सीम मोबाईल नम्बर 9929997224 व 9351350861 लगी हुई है। जिसके आईएमईआई नम्बर चैक करने पर आईएमईआई नम्बर 354228672008207 व 354228672037909 होना पाया गया। उक्त मोबाईल फोन पर प्लास्टिक का हल्का आसमानी बेक कवर लगा हुआ। आरोपी द्वारा उक्त मोबाईल फोन में पासकोड 992999 होना बताया। उक्त एप्पल कम्पनी मोबाईल का परीक्षण किया तो मोबाईल फोन में आरोपी बाबुलाल मीणा से वार्ता के संबंध में संदिग्ध कॉल लॉग व वॉट्सअप चैट तथा वॉटसअप चेट/कॉल एवं अन्य सदिग्ध डेटा होना पाया गया। दिनांक 05.10. 2023 को नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा के वॉटसअप पर परिवादी के मोबाईल नम्बर भिजवाया जाना पाया गया। आरोपी श्री नवल किशोर एवं बाबूलाल मीणा के मध्य हुई एवं मोबाईल में उपलब्ध वॉटसअप चैट के अवलोकन से आरोपी श्री नवल किशोर मीणा द्वारा आरोपी श्री बाबूलाल मीणा को परिवादी से रिश्वत लेन-देन के सम्बंध स्थान, लोकेशन, परिवादी का विवरण व अन्य रिश्वत लेन-देन से सम्बंधित संदिग्ध वॉटसअप चैट होना पाया गया है। दूसरा मोबाईल फोन बरंग हल्का आसमानी वन प्लस कम्पनी का होकर जिसमें एक सीम मोबाईल नम्बर 8078649312 लगी हुई है। जिसके आईएमईआई नम्बर चैक करने पर आईएमईआई नम्बर 864835060021932 व 864835060021924 होना पाया गया। उक्त मोबाईल फोन पर प्लास्टिक का पारदर्शी बेक कवर लगा हुआ। उक्त मोबाईल में वॉटस्अप इन्सटॉल होकर वाटसअप मोबाईल नम्बर 9233130085 का होकर वॉटसअप आईडी @bg होना पाया गया, परन्तु इस मोबाईल में नम्बर 9233130085 की सीम नहीं होना पाई गयी। उक्त मोबाईल में वाट्सअप चैट एंव वाटसअप कॉल लॉग में कोई डेटा नहीं पाया गया, यह उल्लेखनीय है की आरोपी श्री नवल किशोर मीणा द्वारा इसी वाटसअप आईडी से परिवादी श्री नवीन कुमार से रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन हेतु निरन्तर सम्पर्क किया गया था अत: आरोपी श्री नवल किशोर मीणा द्वारा वाटसअप मोबाईल नम्बर 9233130085 से संबंधित वाटसअप चैट/कॉल लॉग डीलिट किया जाना प्रकट होता है। उक्त मोबाईल में कॉन्टेक्सट में एक ही मोबाईल नम्बर 999828007 Ca नाम से सेव होना पाया गया उक्त मोबाईल नम्बर परिवादी नवीन कुमार का होना पाया गया। परिवादी श्री नवीन कुमार के मोबाईल में उपलब्ध आरोपी श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा से हुई व्हॉटसअप चैट से भी उपरोक्त तथ्यो की पुष्टि होती है। आरोपी श्री नवल किशोर मीणा के उपरोक्त दोनों मोबाईल फोन फर्दर परीक्षण कर जरिये फर्द पृथक से जप्त किये गये।

इस प्रकार अब तक की गई कार्यवाही से परिवादी श्री रविन्द्र कुमार द्वारा अपने स्वामित्व के नायरा कंपनी के पेट्रोलपम्प को आर्थिक नुकसान की वजह से मार्केट के डीलर के माध्यम से श्री सनासम जैकी सिंह से 09 करोड 85 लाख रूपये में 06 जून 2022 को सौदा तय होने पर बिक्री की सांई के पेटे 21 लाख रूपये जरिये चैक प्राप्त किये थे, क्रेता श्री सनासम जैकी सिंह के विरूद्ध पोंजी/चिटफण्ड का प्रकरण इम्फाल मणिपुर में ईडी द्वारा दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में परिवादी श्री रविन्द्र कुमार को ईडी द्वारा कथन दर्ज करवाने के लिये सम्मन जारी किया गया, जिस पर आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा द्वारा दिनांक 04.10.2023 को इम्फाल मणिपुर में परिवादी श्री रविन्द्र कुमार के स्टेटमेंट दर्ज करने के दौरान परिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार व श्री नवीन कुमार से रविन्द्र कुमार की अचल सम्पत्ति को अटैच नहीं करने, उसका प्रकरण निपटाने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 17 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग करने पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 28.10.2023 को आरोपी द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथी को रिश्वती राशि को नहीं देने का कहा जाना, परिवादी द्वारा रिश्वती राशि को कम करने का

निवेदन करने पर 15 लाख रूपये लेने की सहमति प्रदान करना, दिनांक 30.10.2023, 01.11.2023 को आरोपी से हुई जरिये वॉट्सअप विभिन्न वार्ताओं/चैट्स में परिवादी श्री नवीन कुमार पर रिश्वती राशि के संबंध में वार्ता कर रिश्वती राशि देने के लिये दबाव बनाना व रिश्वती राशि नहीं देने पर ईडी के एक्ट के अनुसार कार्यवाही की धमकी देना एवं रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 02.11.2023 को आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा व आरोपी श्री बाबूलाल मीणा ने आपसी मिली-भगत कर लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा ने परिवादी श्री नवीन कुमार को आरोपी श्री बाबूलाल मीणा को रिश्वती राशि देने के लिये कहना व आरोपी श्री बाबूलाल मीणा द्वारा परिवादी श्री नवीन कुमार से रिश्वती राशि प्राप्त करने के दौरान आरोपी श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा व परिवादी के मध्य हुई वार्ता में रिश्वती राशि 15 लाख आरोपी बाबूलाल मीणा को देने के लिए कहने व उसके कहे अनुसार आरोपी श्री बाबूलाल मीणा द्वारा रिश्वती राशि से पूर्व से ही भलीभांति विज्ञ होने के बावजुद रिश्वती राशि 15 लाख रूपये प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी श्री नवलकिशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा व श्री बाबूलाल मीणा का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0दं0सं0 में पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री बाबूलाल मीणा हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्याल, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल तिजारा को दिनांक 02.11.2023 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया गया। अत: आरोपी श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोविन्दराम जाति मीणा, उम्र 30 साल, निवासी-ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय, तहसील मुंडावर जिला खैरथल-तिजारा (राज.) को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा हाल प्रवर्तन अधिकारी, प्रर्वतन निदेशालय, भारत सरकार, कार्यालय सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, सब जोन कार्यालय इम्फांल, मणिपुर को रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 28. 10.2023, 30.10.2023, 01.11.2023 के दौरान विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई विभीन्न वार्ताए एवं दिनांक 02.11.2023 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया गया। अत: श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा पुत्र श्री श्रवणलाल मीणा, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर, हाल प्रवर्तन अधिकारी, प्रर्वतन निदेशालय, सब जोन कार्यालय इम्फाल, मणिपुर को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी नवीन कुमार की निशानदेही से दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटना-स्थल का नक्शा-मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन-देन के दौरान प्रयोग में लिए गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। ट्रेप कार्यवाही के दौरान कब्जे एसीबी लिये गये आरोपीगण के मोबाईल फोन को फर्दर परीक्षण के पश्चात जब्त किया जाकर शील्डमोहर किये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान सील्डमोहर किये गये आर्टिकल्स को सील करने में एसीबी जयपुर की ब्रास सील

काम में ली गई। जिसका नमूना ट्रेप कार्यवाही के दौरान तैयार की गई फर्दात पर अंकित किया गया एवं फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर मुर्तिब की गई।

प्रकरण में परिवादीगण द्वारा प्रेषित तहरीरी लिखित रिपोर्ट, मांग सत्यापन वार्ता तथा आरोपीगण के मोबाईल फोन में उपलब्ध व्हाट्सअप चैट के परीक्षण से श्री हिमांशु गौतम, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, सब जोन इम्फाल, मणिपुर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। परिवादीगण से संबंधित ईडी के प्रकरण का अनुसंधान श्री एम0 शिबानन्दा, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, सब जोन इम्फाल, मणिपुर द्वारा किया जाना प्रकट हुआ है। अतः श्री एम0 शिबानन्दा एवं श्री हिमांशु गौतम की अपराध में लिप्तता के संबंध में स्थिती अनुसंधान से स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

इस प्रकार अब तक की गई कार्यवाही से आरोपीगण श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एनके मीणा द्वारा परिवादी श्री रविन्द्र कुमार एवं श्री नवीन कुमार को प्रवर्तन निदेशालय, इम्फाल में सनासम जैकी सिंह के विरूद्ध दर्ज पोंजी/चिटफण्ड प्रकरण में परिवादी रविन्द्र कुमार की सम्पति अटैच नही करने, गिरफतार नही करने व उसका प्रकरण निपटाने की एवज में 17 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर 15 लाख रूपये पर सहमत होकर उक्त राशि अपने परिचित व्यक्ति श्री बाबूलाल मीणा के साथ मिलीभगत कर उसके मार्फत रिश्वत राशि 15 लाख रूपये (प्रचलित भारतीय मुद्रा के 4 लाख रूपये एवं डमी करेंसी के 11 लाख रूपये) प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया जो कि आरोपीगण नवल किशोर मीणा एवं श्री बाबूलाल मीणा द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करना प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0के0 मीणा पुत्र श्री श्रवणलाल मीणा, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर, हाल प्रवर्तन अधिकारी, प्रर्वतन निदेशालय, सब जोन कार्यालय इम्फाल, मणिपुर एवं श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोविन्दराम जाति मीणा, उम्र 30 साल, निवासी-ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय, तहसील मुंडावर जिला खैरथल-तिजारा (राज.) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,

(हिमांशु)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री हिमांशु, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री नवल किशोर मीणा उर्फ एन0 के0 मीणा पुत्र श्री श्रवण लाल मीणा, निवासी ग्राम थली, पुलिस थाना ऑधी, जिला जयपुर हाल प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, सब जोन कार्यालय इम्फाल, मणिपुर 2. श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोविन्दराम निवासी ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तूंगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय, तहसील मुंडावर जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 288/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

भवदीय,

01.11.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।